भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1404
27 दिसंबर, 2017 को उत्तर के लिए

रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना

1404.श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:
श्री आर. के. भारती मोहन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(**क**) क्या सरकार का विचार मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत नवीन एवं नवाचारी रक्षा उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ावा देने का है;

(**ख**) **यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है;**

(ग) **क्या कतिपय परियोजनाओं विशेषतः छोटे हथियारों के विनिर्माण वाली परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दी गई है यद्यपि आयुध निर्माणी बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दे दी थी और कंपनी का विधिमान्यकरण कर दिया गया था ;**

(घ) **यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और गत तीन वर्षों के दौरान लंबित पड़ी इन परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और**

(ड.) **सरकार और आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) द्वारा इस संबंध में और स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या निर्णय लिया गया है?**

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)

(क): **रक्षा विनिर्माण मुख्यतः रक्षा उपस्करों के पूंजीगत अधिग्रहण द्वारा नियंत्रित है । सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की क्षमताओं का उपयोग करके देश में रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं । इन उपायों में रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के अंतर्गत भारतीय विक्रेताओं से अधिप्राप्ति को वरीयता देना, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को और बढ़ाकर लाइसेंसिंग व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उदारीकरण, निर्यात**

...2/-

प्रक्रिया का सरलीकरण, रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों को सुप्रवाही बनाना इत्यादि शामिल हैं। हाल ही में, सरकार ने 'सामरिक भागीदारी (एसपी) प्रारूप' को अधिसूचित किया है जिसमें एक पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए भारतीय निजी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक सामरिक स्थापित करना परिकल्पित है, जिनमें घरेलू विनिर्माण अवसंरचना एवं आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करने के लिए वे कंपनियां प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ गठजोड़ कर सकेंगी ।

(ख): विगत तीन वित्तीय वर्षों के अर्थात 2014-15 से 2016-17 में सरकार ने पूंजीगत अधिग्रहण की "खरीदो(भारतीय-स्वदेशी रूप से अधिकल्पित एवं विकसित निर्मित(आईडीडीएम)", खरीदो (भारतीय)," खरीदो तथा बनाओ(भारतीय) तथा बनाओ' श्रेणी में अनुमानतः 2,33,000 करोड़ रुपए मूल्य के 105 प्रस्तावों के लिए आवश्यकता हेतु स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है अर्थात प्रस्ताव हेतु अनुरोध(आरएफपी) केवल भारतीय विक्रेताओं को जारी किए जाएंगे ।

(ग): आज की तारीख के अनुसार लघु शस्त्रों के विकास के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कोई घरेलू विकास परियोजना प्रस्ताव रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा अनुमोदनार्थ विचाराधीन नहीं है ।

(घ) और (ड.): प्रश्न नहीं उठते ।

***